member shall contribute a sum of Rs. 15. The balance amount of contribution of Rs. 15 per member shall be adjusted out of the Social Security Fund set up by the Corporation.

As the administration of a Group Insurance Scheme requires a nodal agency for identifying the members, submitting list of insured members, collection and remittance of premium and also preferring claims, the scheme for handloom weavers was initially limited to cover only those weavers who were members of Handloom Board, corporation of co-operative societies. However, the scheme for handloom weavers was subsequently extended to cover weavers outside the co-operative field and also the allied workers in handloom and khadi sector provided a nodal agency has been identified or where the State Government is willing to provide the nodal agency for collection and remittance of premium, etc. Thus the scheme has to be sponsored by a recognised nodal agency. The Handloom Development Corporation can propose a scheme for those engaged by it outside the co-operatives and the producers of handloom cloth in the private sector can also be covered under the scheme if they are sponsored by a recognised nodal agency.

The Group Insurance Scheme for handloom weavers has so far been proposed by the nodal agencies in the co-operative sector and by various State Governments through Handloom Board etc.

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा एककों के निर्माण-कार्य की समीक्षा

*68. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश ऊर्जा एककों के निर्माण कार्य की कोई समीक्षा की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने एकक हैं जहां यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है ; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) से (ग) : केंद्रीय क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को समुचित रूप से मानीटरिंग की जाती है । परियोजनावार कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, उपयुक्त उपाए सुझाए जाते हैं और संबंधित परियोजना प्राधिकारियों को कठिनाइयों को दूर करने हेतु अपेक्षित उपाय करने की सलाह दी जाती है । परियोजना प्राधिकारियों एवं उपस्करों के प्रमुख सप्लाइ एजेंसियों के बीच उपयोगी संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने हेतु समन्वित प्रयास किया जाना सुनिश्चित किया जा सके । निर्माण संबंधी कार्य योजनाबद्ध रूप से किए जा रहे हैं । कभी-कभी ऐसे विभिन्न कारणों से कार्यों में विलम्ब हुआ है जोकि परियोजना प्राधिकारियों के वश में नहीं है । विद्युत परियोजनाओं को चालू किए जाने में हुए विलम्ब के मुख्य कारणों में निधियों की कमी होना, भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होना आदि शामिल हैं ।

Liberalisation of FERA, Income-tax and Company Laws

*69. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to liberalise and rationalise the FERA, Income Tax and Company Laws with a view to simplifying them and facilitate easy and speedy flow foreign Investments; and

(b) if so, what are the details thereof indicating the response of NRIs and multinational companies to such liberalisation policeis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) The review of FERA is under consideration of the Government. The Government has appointed the Raja Chelliah Committee to go into the question of the rationalisation of the system of direct taxes with a view to removing anomalies, improving equity and sustaining economic incentives. Its report is awaited. The Government is also considering introducing the Direct Taxes Code for bringing the Income-tax, Wealth-tax and Gift-tax Acts under a single piece of legislation.

Department of Company Affairs have informed us that they have decided to introduce a Bill in Parliament to recodify the Companies Act, 1956.

अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा में सुधार

*70. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दशा सुधारने के लिए क्या-क्या योजनायें तैयार की हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्पसंख्यकों को उन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जो उनके कल्याण के लिए तैयार की गई हैं ; और

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्य-क्रम से संबंधित कार्यवाई कार्यक्रम तथा की गई कार्यवाही की स्थिति

15 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र	कार्यवाई बिन्दु	वर्तमान स्थिति
सूत्र सं० 1, 2 और 3		
साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जिला अधिकारियों की तैनाती	राज्य सरकारों को संशोधित तथा व्यापक दिशानिर्देश जारी करना ।	साम्प्रदायिक सद्भाव के संवर्द्धन हेतु संशोधित दिशानिर्देश राज्य सरकारों को अप्रैल, 1990 में परिचालित किए गए ।
अच्छे कार्य के लिए जिला व पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत करना	—तदैव—	—तदैव—
साम्प्रदायिक तनाव भड़काने या हिंसा में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई	—तदैव—	—तदैव—